



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16052026-272611
CG-DL-W-16052026-272611

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16—मई 22, 2026 (वैशाख 26, 1948)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16—MAY 22, 2026 (VAISAKHA 26, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	305	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	481	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	705	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1393
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3643
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	305	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	481	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	705	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1393
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3643
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2026

सं. 10-1/2026-यू.3(अ)—जबकि, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), मुंबई ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय, संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.02.2026 के अपने पत्र संख्या 35-5/2026 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया। समिति ने कुछ शर्तों के साथ होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को दिनांक 02.03.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. और आगे जबकि, कुलसचिव, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने दिनांक 11.03.2026 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 24.03.2026 के पत्र सं एफ. 35-5/2026 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से, सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई।

4. अब, इसलिए, शिक्षा मंत्रालय एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने की मंजूरी देता है।

5. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th March 2026

No. 10-1/2026-U.3(A)—Whereas, Homi Bhabha National Institute (Institution deemed to be University), Mumbai had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC) as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 35-5/2026 (CPP-I/DU) dated 27.02.2026, informed that the Chairman, UGC constituted a Standing Committee to examine the application. The Committee had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Homi Bhabha National Institute, Mumbai with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 02.03.2026 to Homi Bhabha National Institute, Mumbai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC).

3. And further whereas, the Registrar, Homi Bhabha National Institute (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra vide his letter dated 11.03.2026, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. UGC, vide letter No. F. 35-5/2026 (CPP-I/DU) dated 24.03.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and approved by Chairman, UGC.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Homi Bhabha National Institute, Mumbai to start an off-campus Centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC).

5. Homi Bhabha National Institute, Mumbai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary